

पुस्तक

श्री अष्टोक गाँगुली
त्रिपुरा संविव
उत्तर प्रदेश शासन ।

तेवा ५

मुचिय
केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा परिषद्,
शिक्षा भैरु २ अमृताय भैरु
प्रशासि खिलौर, नई दिल्ली ।

शिक्षा १७। अनुभाग

मार्ग : दिनांक ३ अगस्त १९९८

विषय : निम्न आध्यात्मीयमात्रा प्रगारानी परिवाक रूप, इयामुर विषेश देहादून फैलाउनीको सीधीय सूची नई दिल्ली से सम्बद्धता हेतु अनापौत्र प्रमाणान्वय दिए जाने का संघर्ष मे ।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक पर मुझे यह कलो का निदेश ल्या है कि निम्न आध्यात्मीय मात्रा प्रगारानी परिवाक रूप, इयामुर विषेश देहादून फैलाउनीको सीधीय सूची नई दिल्ली से सम्बद्धता हेतु अनापौत्र प्रमाणान्वय दिए जाने मे इस राज्य सरकार की निम्नलिखित प्रतिबन्धी के अधीन आपौत्र नहीं है :-

१। विद्यालय की पूँजीकूल सौसायटी का संभव समय पर नवीनीकरण कराया जायेगा ।

२। विद्यालय की प्रबन्ध समिति मे शिक्षा निदेशक द्वारा नामित रूप सदस्य होगा ।

३। विद्यालय मे एग्रे के कम दस प्रतिवात रथान अनुसंधित जाति/अनुसंधित लोगों के लिए सुरक्षित रहेंगे और उन्हें उत्तार प्रदेश माध्यमिक विद्या परिषद् द्वारा नामित विद्यालयों मे विभिन्न व्यावरों के लिए नियमित रूपक से अधिक रुपक नहीं दिया जायेगा ।

४। स्कूल द्वारा राज्य सरकार से विसी अनुदान की माँग नहीं की जायेगी और पाठि पूर्व मे विद्यालय माध्यमिक शिक्षा परिषद् से अध्यात्मीय विद्यालयों के मान्यता प्राप्त होता विद्यालय की सम्बद्धता केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा परिषद् को सिल कार द्वि विद्युत्पन रूप सीधीय विद्यालयों को सम्बद्धता प्राप्त होने की विधि होती है तो उस प्रीक्षा परिषद् से सम्बद्धता प्राप्त होने की विधि होती है विद्युत्पन से मान्यता तथा राज्य सरकार से अनुदान स्वतः समाप्त हो जायेगा ।

५। विद्या विभिन्न एवं विद्युत्पन क्रमियारियों को राज्यीय सम्बद्धता प्राप्त होने की विधि विद्यालयों के क्रमियारियों को अनुमन्य वेतनमानी तथा अन्य भत्तों से क्रम वेतनमान तथा अन्य भत्तों नहीं दिये जायेगे ।

६। क्रमियारियों की तेवा भी ब्लायो जायेगी और उन्हें सद्व्याप्ता प्राप्त अन्यतालीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों के क्रमियारियों की अनुमन्य भत्ता नियुक्ति का ताम उपलब्ध कराये जायेगे ।

७। राज्य सरकार द्वारा सम्भव समय पर जो भी आदेश निर्गत हो जायेगे सत्याग्रह उनका पालन करेगी ।

८। विद्यालय का रिकार्ड नियमित ग्राहक/विद्यारियों मे रखा जायेगा ।

९। उक्त शतों मे राज्य सरकार के प्रधानमंत्री द्वारा कोई परिवर्तन/संशोधन या पारिपर्वत नहीं दिये जायेगा ।

Name- J. S. Sajwan
Area- RISHIKESH
Reg. No - 82/8/86

G O V T OF U P

- 2- प्रतिष्ठन पक्ष भी दोगा कि मैथा द्वारा पक्ष उनिश्चित फॉर बाय कि
III विद्युतम् ने कौपितोष्टक बीजा भी पत्र भी जाय ।
- 3- उक्ता प्रतिष्ठनी का पालन करना भीया है कि अनिवार्य दोगा और पदि-
क्षित तभ्य पक्ष पापा बाता है कि मैथा द्वारा उक्ता प्रतिष्ठनी का पालन नहीं
फॉर बा रक्त है अचार पालन बत्तै ने कौपित द्वारा भी पुछ पक्ष विधिमान बहाने
कर रक्त है तो राज्य नरकार द्वारा प्रदेश अपाप फॉर प्रधान पक्ष वापस है
लेका जायेगा ।

भावीय,

अंग्रेज गोप्यी।
समुदाय समिति ।

पुस्तो-3789 III/15-7-98 तदू दिनांक

प्रतिविविध विद्युत विभित लो सुवनार्थ स्वी आवश्यक शापियाही द्वेष प्रतिष्ठनी

- 1- फॉर निर्देशक उत्तर प्रदेश नवाजा ।
- 2- ग्रामीय समुदाय विद्युत निर्देशक पौड़ी यूनियन ।
- 3- फॉर विद्युतम् निर्देशक द्वारा द्वारा ।
- 4- निरोधक आग्रे भारतीय विद्युतम्, अग्रो नवाजा ।
- 5- उद्यन्धक निर्मल अश्रम दीपमाला पारानी परिवास इल, रामसुर निर्देश
द्वारा ।

आमा ने
अंग्रेज गोप्यी।
मैंग भार समिति ।

Arrested True (Copy) 1/2/1999

J. S. SAJWAN
NOTARY, RISHIKESH

Arrested

Lalitha

Lalitha Krishnaswamy
Principal
Nirmal Ashram Deepmala
Pagarani Public School
Shyampur, Rishikesh (U.K.)

